न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 10/2019/अपील नामान्तरकरण

संतोष देवी पत्नी हरफुल सिंह, जाति जाट, निवासी– ग्राम बेरी हाल निवासी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पिपराली जिला सीकर जरिये सरपंच।
2. तहसीलदार, सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री मान सिंह आमेरा, तहसीलदार, सीकर।
2. श्री सावंर मल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
3. श्री मनोज भार्गव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व नामा. संख्या 3812 निर्णय दिनांक 27.02.2018 द्वारा तहसीलदार सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 29 जुलाई, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अपीलान्ट के खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 3.26 हैक्टेयर वाकै ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है। अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाई गई, जिसके लिए तहसीलदार सीकर द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2017 को जारी किया गया। संपरिवर्तित आदेश दिनांक 11.07.2017 के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाकर संपरिवर्तित भूमि अपीलान्ट के नाम से ही खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से भर कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार सीकर के यहां वास्ते तस्दीक हेतु प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार सीकर द्वारा आदेश दिनांक 27.02.2018 के माध्यम से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया, जो अवैध है।

जिला कलक्टर, सीकर

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(2) अपीलधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट को किसी तरह की कोई सूचना या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का को नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने निमित संपरिवर्तित आदेश की प्रतिलिपि दे दी थी तथा पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को यह आश्वासन दिया था कि नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी। अपीलान्ट पटवारी हल्का के आश्वासन से निश्चित हो गई तथा इस कारण उसने विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दिनांक 004.03.2019 को अपीलान्ट ने अपनी जमीन पर ऋण प्राप्ति हेतु पटवारी हल्का से उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तो नामान्तरकरण के बारे में जानकारी हुई। जानकारी के अभाव में विलम्ब हेतु अलग से अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण कानून एवं पत्रावली के विरूद्व है।

(3) अपीलधीन नामान्तरकरण में पटवारी हल्का द्वारा संपरिवर्तित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम गलत रूप से भरा गया है। संपरिवर्तित भूमि अपीलान्ट के नाम से ही नांमाकित किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलान्ट ने विवादित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में हस्तान्तरित नहीं किया गया है। स्वामित्व स्वंय के पास ही रखा है। भू अभिलेख निरीक्षक पिपराली द्वारा भी जांच रिपोर्ट गलत रूप से अंकित की गई है तथा तहसीलदार सीकर द्वारा विधि विरूद्व तरीके से गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण पर केवल मात्र स्वीकृत शब्द लिखते हुए तस्दीक किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही अवैध है।

(4) अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना किसी आधार के अपीलान्ट की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह की सूचना या सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधि एवं नियमों की कोई पालना नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3812 दिनांक 27.02.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में भर कर तस्दीक किये जाने निमित आदेश पारित किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना किसी आधार के अपीलान्ट की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है। तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह की सूचना या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधि एवं नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3812 दिनांक 27.02.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में भर कर तस्दीक किये जाने निमित आदेश पारित किया जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अभिकथन किया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 3.26 हैक्टेयर में से जो भूमि संपरिवर्तन करवाई गई है, उसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम से ही खोला जाना चाहिए था, जो सहवन से पंचायत के नाम से खोला गया है। इसे सही करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार सीकर ने भी अभिकथन किया कि सहवन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के नाम से खोला जाना है, जिसे दुरस्त किया जा सकता है।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) सीकर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.07.2017 के अनुसार अपीलान्ट की भूमि खसरा 374 रकबा 3.26 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर यानि 500 वर्गमीटर को कृषि भूमि से अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित किया गया हैं।

(2) जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 ग्राम पिपराली पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 5592/374 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी अंकित है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(3) नामान्तरकरण संख्या 3812 दिनांक 27.02.2018 ग्राम पंचायत पिपराली पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर के अनुसार अपीलान्ट की खसरा नम्बर 5592/374 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आवादी ग्राम पंचायत पिपराली ग्राम पिपराली के नाम से दर्ज है, जिसमें संपरिवर्तन आदेश दिनांक 30.08.2017 पु. सं. 1 जि.सं. 1148 पृ. सं. 132 क्र. सं. 201703327105629 पर पंजीबद्व अ.पु.स. 508 से 512 पर चस्पा अंकित है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 3812 दिनांक 27.02.2018 ग्राम पंचायत पिपराली पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 374 में से संपिरवर्तित भूमि खसर नम्बर 5592/374 रकबा 0.05 हैटक्येर को किस आधार पर ग्राम पंचायत पिपराली ग्राम पिपराली के नाम से दर्ज किया गया, जिसका संपपरविर्तन आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। अतः **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 3812 दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि भूमिधारक जिसके नाम संपरिवर्तन किया है, उसी के नाम नामान्तरकरण भरा जाकर तस्दीक किया जावे।**

8. निर्णय आज दिनांक :29 **जुलाई, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner